न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–279/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00279)

1. नाथू खां (मृतक) जरिए वारिसानः–
   1/1 गनी मोहम्मद पुत्र स्व0 नाथू खां
   1/2 रोशन पुत्र स्व0 नाथू खां
   1/3 आमीन पुत्र स्व0 नाथू खां
   1/4 शरबती पुत्री स्व0 नाथू खां
   समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम साली तहसील दूदू जिला जयपुर।

अपीलांट्स

बनाम

1. अलानूर खां पुत्र अलारख खां
2. बाबू खां पुत्र वजीर खां
3. ईशाब खां उर्फ युसूफ पुत्र वजीर खां (मृतक) जरिए वारिसानः–
   3/1 श्रीमती सरीफन पत्नी इशब खां उर्फ यूसुफ
   3/2 मुश्ताक पुत्र ईशब उर्फ यूसुफ
   समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम साली तहसील दूदू जिला जयपुर।
   3/3 नसीम पुत्री ईशब उर्फ यूसुफ पत्नी ईरफान निवासी बांदर सिंदरी तहसील किशनगढ अजमेर हाल साली तहसील दूदू जिला जयपुर।
   3/4 शमीम पुत्र ईशब
4. भंवरी उर्फ घेवरी पत्नी अलानूर
5. गफार पुत्र अलानूर (मृतक) जरिए वारिसानः–
   5/1 सहीदन पत्नी स्व0 गफार
   5/2 रमजान पुत्र स्व0 गफार
   5/3 शब्बीर पुत्र स्व0 गफार
   5/4 जहीर पुत्र स्व0 गफार (नाबालिग जरिए संरक्षक माता सहीदन
   5/5 रूबीना पुत्री स्व0 गफार पत्नी गफार)
6. इब्राहीम पुत्र अलानूर
   जाति मुसलमान निवासी प्लाट नम्बर 15 शिवाजी नगर मदीना मस्जिद के पास, झोटवाड़ा जिला जयपुर।
7. मु0 हमीदा पुत्र अलानूर पत्नी चांद खां जाति मुसलमान निवासी जनता इंजीनियरिंग वर्क्स रूपनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
8. सईदा उर्फ वहीदा पुत्री अलानूर (मृतक) जरिए वारिसानः–
   8/1 आरिफ पुत्र फारूख शेख जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला मातावर मु0पो0 मकराना जिला नागौर।
9. मु0 रूकसाना पुत्री अलानूर पत्नी अनवर जाति मुसलमान निवासी मु0पो0 दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।
10. मु0 मदीना पुत्री अलानूर पत्नी पप्पू खां जाति मुसलमान निवासी मु0पो0 अगरपुरा (रावा) वाया मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक।
11. सत्तार पुत्र हीरा (मृतक) जरिए वारिसानः–
    11/1 मनभर पत्नी स्व0 सत्तार
    11/2 सलीम पुत्र स्व0 सत्तार
    11/3 सकील पुत्र स्व0 सत्तार
    11/4 जरीना पुत्री स्व0 सत्तार
    11/5 समीना बानो पुत्री स्व0 सत्तार
    जाति मुसलमान निवासी ममाया वाया नरेणा तहसील दूदू जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

12. जैतून पत्नी हीरा जाति मुसलमान (नाम तर्क)
13. ईलाई बक्ष पुत्र कालू खां जाति मुसलमान निवासी जडावता वाया नरेना तहसील दूदू जिला जयपुर।
14. खाजू खां पुत्र भूरा खां (मृतक) जरिए वारिसानः–
    14/1 ईशाक पुत्र स्व0 खाजू खां
    14/2 शरीफन पुत्री स्व0 खाजू खां
    14/3 मुस्ताक पुत्र स्व0 खाजू खां
    14/4 रहीसा पुत्री स्व0 खाजू खां
    14/5 ईशव पुत्र स्व0 खाजू खां
    14/6 इन्दिरा उर्फ ईदा पुत्री स्व0 खाजू खां
    14/7 सत्तार पुत्र स्व0 खाजू खां
    14/8 आरीन पुत्र स्व0 खाजू खां
    14/9 आमीन पुत्र स्व0 खाजू खां (मृतक) जरिए वारिसानः–
    14/9/1 जमीला पत्नी स्व0 आमीन
    14/9/2 इरफान पुत्र स्व0 आमीन
    14/9/3 जाकिर पुत्र स्व0 आमीन
    14/9/4 सराज पुत्र स्व0 आमीन
    14/9/5 हीना पुत्री स्व0 आमीन
    समस्त जाति मुसलमान निवासी प्लाट नम्बर 141, पूरण विहार विस्तार कॉलोनी बेनाड जिला जयपुर।
15. मीठू खां पुत्र भूरा खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम साली तहसील दूदू जिला जयपुर हाल निवासी 16 नम्बर बस स्टेण्ड नूरानी मस्जिद के पास, लंकापुरी शास्त्री नगर, जयपुर।
16. इदू पुत्र भूरा मुसलमान (मृतक) जरिए वारिसानः–
    16/1 हकीम पुत्र इंदू
    16/2 मुंशी पुत्र इंदू
    16/3 हमीद पुत्र इंदू
    16/4 बबलू पुत्र इंदू
    16/5 मरियम पत्नी इंदू
    समस्त जाति मुसलमान निवासी प्लाट नम्बर 113, 16 बस स्टेण्ड के सामने, नूरानी मस्जिद के पास, लंकापुरी शास्त्री नगर जयपुर।
    16/6 सरवती पुत्री स्व0 इंदू पत्नी महबूब शेख जाति मुसलमान निवासी चमडा घर, रामनेर रोडद्व मदनगंज किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
17. गफूर खां पुत्र भूरा जाति मुसलमान निवासी ग्राम साली तहसील दूदू जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 26 व 27 कृष्णा नगर, झोटवाडा, जयपुर।
18. नरपत सिंह राठौड़ पुत्र लक्ष्मण सिंह राठौड जाति राजपूत (मृतक) जरिए वारिसानः–
    18/1 श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व0 नरपत सिंह
    18/2 आनन्द सिंह पुत्र स्व0 नरपत सिंह
    18/3 सरदार सिंह पुत्र स्व0 नरपत सिंह
    18/4 श्रीमती राजेश्वरी पुत्री स्व0 नरपत सिंह
    18/5 श्रीमती नीतू पुत्री स्व0 नरपत सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 304, राठौड़ भवन, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रेस्पोडेन्टस

Scanned with CamScanner

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध सहायक कलक्टर दूदू निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2001 .

उपस्थितः—

1. श्री अभिषेक कौशिक, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री मोहित सोनी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5/1 से 5/5, 6, 7,10.
3. श्री अजीत सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 18/1 से 18/5.
4. रेस्पोडेंट संख्या से 1 से 4, 8, 9, 11 से 17 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—08.03.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट नाथू खां ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू, के समक्ष (वाद संख्या 122/1995) राजस्व वाद दिनांक 18.01.1995 को प्रस्तुत कर निवेदन किया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने इकबाली जवाबदावा पेश किया जिसके आधार पर 9 तनकीयात कायम की गई। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3.5.2001 द्वारा वादी का वाद खारीज फरमा दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट/वादी द्वारा एक अपील संख्या 278/2001 राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के न्यायालय में पेश की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 31.7.2002 को वादी/अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए दावे को परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित कर दिया गया। उक्त रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट ने एक अपील संख्या 5631/2002 माननीय मण्डल में प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 2.7.2007 को प्रतिवादी/रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.7.2002 को अपास्त कर उक्त प्रकरण को इन निर्देशों के साथ माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रतिप्रेषित कर दिया कि उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करे, एवं वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के आवेदन पत्र पर यह आदेश पारित किया कि अपीलांट/प्रतिवादी चाहे तो रिब्टल में संबंधित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.8.2002 अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए। उक्त प्रकरण श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है। सहायक कलेक्टर दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2001 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या से 1 से 4, 8, 9, 11 से 17 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3.5.2001 को पारित करने

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

में भूल की है उक्त प्रकरण में परीक्षण न्यालय द्वारा 9 तनकीयात4 कायम की गई थी जिसमें प्रथम तनकी यह थी की क्या वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 रमपू खां के वंशज है उपरोक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा में स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादी रमजू खां के ही वंशज है उपरोक्त प्रतिवादी द्वारा एडमिट फेक्ट को जो कि वादी के परिवार के ही दास्य है नहीं मानकर प्रतिवादी ससंख्या 4 से 28 जो कि वादी से भी कोई भी संबंध नहीं रखते है जवाबदावा मानकर जो तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी निर्णित कर भारी त्रुटि कारित की है। तनकी संख्या 2 क्या विवादित आराजी वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के आपसी समझौते से वादी को दे दी थी एवं चल सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा विवादित आराजी के प्रतिकूल में वादी एवं उसके पूर्वजों से प्राप्त कर ली थी उपरोक्त तनकी के समर्थन में भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने इकबाली जवाबदावे में सहमति व्यक्त की है। जिसको भी नहीं मानकर अपीलांट का दावा पूर्ण रूप से खारिज कर त्रुटि कारित की है। उपरोक्त तनकी संख्या 1 व 2 के आधार पर परीक्षण न्यायालय को तनकी संख्या 3 का भी निर्णय पारित करना चाहिए था क्योंकि न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कथन को एडमिट कर लेता है तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती है उक्त प्रकरण में भी परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा को नहीं मानते हुए एवं वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2049 लगायत 2052 अनुसार वादी मौके परद काबिज है और लगान की रसीदे पेश है, को नहीं मानते हुए प्रतिवादी संख्या 4 से 18 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर तनकी संख्या 3 खारिज किया है। तनकी संख्या 4 खतौनी संख्या 316 में अंकित गुलाब खां नाम का व्यक्ति ग्राम साली में नहीं है का इंद्राज सहवन से किया गया है। उपरोक्त तनकी संख्या 4 को निर्णित करने में परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि कारित की है खतौनी संख्या 316 की आराजी अनुसार अल्लारखां पुत्र रमजू खां हिस्सा 1/3 , महताब पुत्र वजीर को 1/3 , गुलाब वल्द अल्लाबंद 1/3 हिस्सा, मकबूजा ठिकाना दर्ज है। उपरोक्त खतौनी संख्या 316 जिसमें हिस्सा 1/3 गलबा खां वल्द अल्लाबंद के नाम जो दर्ज है बंदोबस्त की गलती से दर्ज किया गया है जब कि उक्त खतौनी में वादी का कब्जा है एवं गुलाब खां नाम का व्यक्ति ग्राम साली में कभी नहीं रहा है। जिसके समर्थन में गुलाब खां द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए गए फिर भी गुलाब खां को ग्राम साली का रहवासी मानते हुए उक्त तनकी को वादी के विरूद्ध निर्णित कर निर्णय व डिक्री पारित की गई। तनकी संख्या 5 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विवादित आराजी को वाद पत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार अपने हिस्से में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त तनकी मे प्रतिवादी संख्या 4 से 18 को यह साबित करना था कि उक्त विवादित आराजी में से खतौनी संख्या 651 की आराजी 2414 कुल किता 2 रकबा 6.17 बीघा को प्रतिवादी संख्या 4 से 18 आवंटनशुदा आराजी बता रहे है, जबकि उक्त आवंटन संबंधी कोई भी दस्तावेज रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं कराए गए जब कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावे को नहीं मानकर परीक्षण न्यायालय ने इकबाली जवाबदावा रिकार्ड पर होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर खतौनी संख्या 651 बाबत प्रतिवादी संख्या 4 से 18 द्वारा मात्र जवाबदावे में अंकित आवंटन के कथनों को

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

बिना किसी आवंटन आदेश की प्रति मानकर खतौनी संख्या 651 की आराजी प्रतिवादी संख्या 4 से 18 के पक्ष में मानकर एवं तनकी संख्या 5 एवं 7 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। तनकी संख्या 5 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विवादित आराजी को वाद पत्र के पैरा संख्या 04 के अनुसार अपने हिस्से में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त तनकी में प्रतिवादी संख्या 04 से 18 को यह साबित करना था कि उक्त विवादित आराजी में से खतौनी संख्या 651 की आराजी 2414 कुल रकबा 6.17 बीघा को प्रतिवादी संख्या 4 से 18 आवंटनशुदा आराजी बता रहे है जबकि उक्त आवंटन सम्बन्धि कोई भी दस्तावेज रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं कराये गये जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावे को नहीं मानकर परीक्षण न्यायालय ने इकबाली जवाब दावा रेकार्ड पर होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर खतौनी संख्या 651 बाबत् प्रतिवादी संख्या 4 से 18 द्वारा मात्र जवाबदावे में अंकित आवंटन के कथनो को बिना किसी आवंटन आदेश की प्रति मानकर खतौनी संख्या 651 की आराजी प्रतिवादी संख्या 4 से 18 के पक्ष में मानकर भारी कानूनी त्रुटि कारित की है एवं तनकी संख्या 5 व 07 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही अपीलांट 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/3 व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा काबिज काश्त था। जब कि रेस्पोडेंट संख्या 4 से 18 में किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है बरवक्त सैटलमेंट रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है एवं दौराने सैटलमेंट रेस्पोडेंट संख्या 4 से 18 ने अपने नाम अनुचित व अवैध रूपसे उक्त आराजी को अपने आने दर्ज करवा ली जिसका सैटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नही था, इसलिए वादी ने दुरूस्ती इंद्राज का दावा परीक्षण न्यायालय में पेश किया जिसको भी खारिज करने में त्रुटि कारित की है। परीक्षण न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 03 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही अपीलांट 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 का 1/3 हिस्सा काबिज काश्त था। जब कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 18 में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है बरवक्त सैटलमेन्ट रेस्पोडेन्ट 1 से 03 अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है एवं दौराने सैटलमेन्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 18 ने अपने नाम अनुचित व अवैध रूपसे उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवा ली जिसका सैटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नही था इसलिए वादी ने दुरूस्ती इन्द्राज का दावा परीक्षण न्यायालय में पेश किया जिसको भी खारिज करने में त्रुटि कारित की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जोकर एवं वादी/अपीलांट को विवादित आराजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंटस ने दौराने अपील जवाब बहस में कथन किया कि वादी/ अपीलांट एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस की पुश्तैनी सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम साली तहसील दूदू

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

में अवस्थित है जो वादी द्वारा वदपत्र में दर्ज अंकन के अनुसार खतौनी संख्या 316 की आराजी खसरा नम्बर 2415 रकबा 11.16 बीघा, खतौनी संख्या 651 की आराजी खसरा नम्बर 2414 रकबा 4.03 बीघा, 2425/1/2 रकबा 2.14 बीघा कुला किता 2 रकबा 6.17 बीघा खतौनी संख्या 55 की आराजी खसरा नम्बर 2451 रकबा 1.19 बीघा, 2458 रकबा 1.02 बीघा, 2459 रकबा 3 बिस्वा, 2460 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 4 रकबा 4.06 बीघा एवं खतौनी संख्या 56 की आराजी खसरा नम्बर 2454 रकबा 5 बिस्वा, 2470 11 बिस्वा, 2476 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 1.05 बीघा, खतौनी संख्या 52 की आराजी खसरा नम्बर 2461 रकबा 4 बिस्वा, खतौनी संख्या 53 की आराजी खसरा नम्बर 2455 रकबा 4 बिस्वा, 2456 रकबा 7 बिस्वा, 2457 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 18 बिस्वा ग्राम साली में अवस्थित है। वादी नाथू द्वारा वादपत्र वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज रमजू थे उक्त रमजू के वारिसान में शकरू एवं मशरू को चल सम्पत्ति एवं नकद राशि दे दी गई तथा विवादित भूमि वादी के पिता अल्लारखा को प्रदान की गई जिसे अल्लारखा के तीनों वारिस बहिस्सा बराबर हकदार है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 10 श्री गुलाब खां के वारिसान है उक्त गुलाब खां नाम का कोई व्यक्ति ग्राम साली में नहीं रहता है लेकिन इसका नाम रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है अंत में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 का नाम रिकार्ड से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का परिवार पृथक है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 का परिवार पृथक है अर्थात दोनों पृथक–पृथक परिवार हैं। श्री गुलाब खां सम्वत 2011 से वादग्रस्त भूमि के कुछ खसरा नम्बरान का तन्हा एवं कुछ खसरा नम्बरान का सहखातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त चला आ रहा था जिसके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 10 काबिज काश्त चले आ रहे हैं, वादी द्वारा वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण श्री रमजू के वारिस होना एवं आपसी समझौते में विवादित भूमि तन्हा वादी के पिता अल्लरखा पुत्र रमजू को प्रदान किया जाना बिल्कुल असत्य, झूंठा एवं मनगढंत कथन अंकित किया गया है एवं वादी तथा समस्त प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टीयों के अनुसार ही पीढ़ियों से काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन वादी के मन में भूमि हड़प करने की बदनियती के कारण वादपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा सहखातेदारान के मध्य विपरीत कब्जे का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वर्तमान रिकार्ड में उनके नाम दर्ज प्रविष्टि अनुसार ही काबिज काश्त है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 वर्तमान रिकार्ड अपने नाम दर्ज प्रविष्टियां के अनुसार पीढियों से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी द्वारा मिथ्या तथ्यों पर आधारित वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं वादी को कोई वादकरण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वाद पत्र मियाद बाहर है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 की सहखातेदारी एवं तन्हा खातेदारी की आराजीयात पर वादी कभी काबिज नहीं रहा है जिसे बिना कब्जे के उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वह भी सहखातेदारान के विरूद्ध कतई संधारण योग्य नहीं है बल्कि ऐसे वाद–पत्र विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा में आते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटरा निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अपने हक एवं अधिकारों की प्राप्ति हेतु उक्त राजस्व वाद वास्ते खातेदारी उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद एवं जवाबदावे के आधार पर 9 तनकीया निर्मित कर वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद को अपने आदेश दिनांक 03.05.2001 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 278/2001 बउनवानी नाथू बनाम अल्लानूरखां प्रस्तुत की जिसे हाजा न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.07.2002 के द्वारा स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2001 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया। हाजा न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31.07.2002 के विरूद्ध रेस्पोडेन्टस द्वारा अपील/टीए/17/2002/जयपुर(अपील)5621/2002 बउनवानी मीठू बनाम नाथू माननीय राजस्व मंडल राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की जिसे माननीय राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.07.2007 को स्वीकार कर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2007 को अपास्त कर उक्त प्रकरण को पुनः हाजा न्यायालय के समक्ष इन निर्देशों के साथ की वे पक्षकारान को गुणावगुण पर सुनकर निर्णय पारित करें पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान किया। जिसकी पालना में उक्त अपील हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2019 को दर्ज की जाकर सम्बन्धित पक्षकारों के नोटिस जारी किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश प्रदान किये । हाजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील तथा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने हक एवं अधिकारों की प्राप्ति हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 रमजू खां के तीन लडके शकूर खां, अलार खां, मसरू खां थे जिनमें आपसी समझौते के अनुसार चल सम्पत्ति नगद तो शकूर एवं मसरू खां ने ले लिए एवं अचल सम्पत्ति अलार खां को सम्भला दिये जिस पर अलार खां के पुत्र 1/3 –1/3 – 1/3 काबिज है तथा वादग्रस्त आराजी खातोनी संख्या 316 में वादी का एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का 2/6 हिस्सा खातोनी संख्या 651 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 का सम्पूर्ण हिस्सा खतौनी संख्या 55 का सम्पूर्ण हिस्सा खतौनी संख्या 56 की आराजी में सम्पूर्ण हिस्सा खतौनी संख्या 52 की आराजी में सम्पूर्ण हिस्सा 53 में 3/4 अर्थात वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा चला आ रहा है तथा उक्त हिस्से में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तथा खतौनी संख्या 316 में गुलाब का 1/3 हिस्सा दर्ज कर रखा है जबकि गुलाब नाम का कोई व्यक्ति निवास नही करता है तथा खतौनी संख्या 651 में हिरा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

पूर्व मे हिरा के पिता ने वादी के पिता को दे दी थी तथा खतौनी संख्या 55 में कालू का नाम रिकार्ड में दर्ज है इसके पिता शकूर ने आपसी समझौते से उक्त आराजीयात आलार खां को सम्भला दी इस प्रकार से विवादित आराजीयात में कालू का कोई हक एवं अधिकार निहित नही है तथा वादग्रस्त आराजीयात बावत वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को स्वीकार किया जावे तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त राजस्व वाद बावत इकबाली जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 10 के द्वारा वादी के वाद के तथ्यों को इनकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया जिस बावत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावें के आधार पर 9 तनकीया निर्मित कर उक्त राजस्व वाद बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहों के बायानात को कलमबद्ध कर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद में अपने आदेश दिनांक 03.05.2001 के द्वारा निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित 9 तनकीयों मेंसे 6 तनकीयों को साबित करने का भार वादीगण पर डाला तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 "आया वादी एवं प्रतिवादीगण रमजू के वंशज है" निर्मित कर उक्त तनकी का निर्णय सरसरी तौर से बिना दस्तावेजो का अवलोकन कर विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण निर्णित कर दिया। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 02 "वादग्रस्त आराजीयात बाबत शकूर खां व मसरू खां ने आपसी समझौते के तहत अल्लानूर खां को दे दी तथा चल सम्पत्ति एवं नगदी शकूर खां एवं मसरू खां ने रख ली" उक्त तनकी का भार वादीगण का था जिस बाबत वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत खसरा गिरदावरी, जमाबंदी एवं लगान की रसीदे समंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जिस बाबत अधीनस्थ न्यायलय द्वारा बिना अवलोकन किये उक्त तनकी का निर्णय भी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण निर्णित कर दिया। इसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य तनकीया 3 लगायत 08 का भी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का सरसरी तौर पर बिना उक्त दस्तावेजों का सूक्ष्म अध्ययन किये तथा उनके समक्ष लम्बित उक्त तनकीयों बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहों के बयानों का विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना ही उक्त राजस्व वाद का निर्णय दिनांक 03.05.2001 को कर दिया जो कि किसी भी प्रकार से विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2001 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उनके समक्ष लम्बित प्रकरण का उक्त राजस्व वाद में निर्मित 9 तनकीयात के साथ अधीनस्थ न्यायालय निम्न दो तनकीयॉ विरचित करते हुए:– 01. आया वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा कराने का अधिकारी है, 2. आया वादी इस विन्दू पर भी घोषणा का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 03 ने लिखित अभिकथनो में वादी को रमजू खॉ का वंशज माना है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं इस बाबत् अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी में प्रस्तुत रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सलग्न रिकार्ड यथा–राजस्व रिकार्ड, गिरादावरी, लगान की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रसीदे, जमाबंदी, विक्रय पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का पुनः अवलोकन करें तथा यदि अधीनस्थ न्यायालय, दावें तथा जवाबदावे के आधार पर व उपरोक्त निर्मित तनकीयों पर वादी एवं प्रतिवादीगण एवं अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयानात समाहित करवा कर तनकीयों पर गवाहों के बयानात बाबत सम्पूर्ण विश्लेषण कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 08.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner